28.07.2026

काराधीन अभियुक्त (1) मो0 आलम (2) मो0 सलील (3) मो0 जमाल की ओर से दिनांक 23.07.2026 में दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। जिसकी कॉपी विद्वान मुख्य अभियोजक को भी दी गई। पुकार पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रार्थी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामानंद मिश्र जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते हैं कि प्रार्थी अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा कोई भी घटना तथा अपराध नहीं किया है बल्कि पूर्व दुश्मनी एवं भूमि विवाद के कारण मनगढंत आरोप लगाकर अभियुक्तों को प्रस्तुत मुकदमा में फंसाया गया है। प्रस्तुत मुकदमा साक्ष्य हेतु निर्धारित था। अभिलेख सुपौल न्यायालय से श्रीमान् के न्यायालय में स्थानान्तरण होने तथा तिथि की सही जानकारी नहीं होने पर दिनांक 01.07.2026 को अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण अभियुक्तों का जमानत बंध पत्र खंडित कर दिया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण अभियुक्तगण जेल हाजत वीरपुर में बंद है। प्रार्थी अभियुक्तगण वृद्ध बीमार तथा गरीब व्यक्ति है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण भविष्य में पुनः गलती नहीं करेगा तथा प्रत्येक तिथि को पैरवी करते हुए मुकदमा के विचारण एवं निष्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा। प्रार्थी अभियुक्त जानबुझकर कोई गलती नहीं किया है। जानकारी के अभाव में अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरवी नहीं कर सका है। प्रार्थी अभियुक्तगण श्रीमान के आदेशानुसार सक्षम जमानतदार देने को तैयार है। प्रार्थी अभियुक्तों को उचित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान मुख्य अभियोजक श्री उमेश कुमार जमानत का विरोध करते है।

जमानत के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् अभिलेख दिनांक 21.09.2024 को सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थी अभियुक्तगण पूर्व में न्यायालय द्वारा जमानत पर थे। दिनांक 01.07.2026 को सूचक मो0 इस्लाम की हाजरी गवाह के रूप में दी गई थी। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से किसी प्रकार की पैरवी नहीं किया गया था जिस कारण अभियुक्तों का जमानत बंध पत्र खंडित कर अजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया गया है। दिनांक 09.01.2026 को अभियुक्तों के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है। दिनांक 22.07.2026 को अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तब से प्रार्थी अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला जमानत के दुरूपयोग का प्रतीत होता है तथा अभियुक्तों का यह प्रथम गलती प्रतीत होता है। ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में काराधीन अभियुक्तों को मो0 10,000/– रुपये एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि दिनांक 01.07.2026 को उपस्थित गवाह मो0 इस्लाम जब भी गवाही हेतु न्यायालय में उपस्थित होंगे, तब तीनों प्रार्थी अभियुक्तगण मो0 1,000/– रुपये जुर्माना के तौर पर गवाह को भुगतान करेंगे तथा विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रत्येक तिथि को अभियुक्तगण उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
बीरपुर